पत्रांकः– 15/एम 1–214/2012 (अंश)

शिक्षा विभाग

बिहार सरकार

प्रेषक,

डॉ0 प्रो0 रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में

कुलसचिव,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक 2022

विषय :– कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0–सी–16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 2130 दिनांक 20.07.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1218/Aff-03/2022 दिनांक 15.06.2022 के आलोक में कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0–सी–16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA, एवं B.Sc (IT) में अस्थायी संबंधन हेतु निर्गत आदेश के क्रम में अतिरिक्त एक यूनिट की बढ़ोतरी (60–60 सीट) तथा शैक्षणिक सत्र 2023–24 एवं 2024–25 के लिए संबंधित पाठ्यक्रम में 120–120 सीटों पर छात्रों के नामांकन हेतु सीटों के निर्धारण (एक अतिरिक्त यूनिट बढ़ोतरी सहित) की स्वीकृति निम्न निदेश के साथ प्रदान की जा जाती है:–

भविष्य में, राज्यपाल सचिवालय से व्यवसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित निर्गत होनेवाले परिनियम में अंकित मापदण्ड प्रश्नगत संस्था पर भी प्रभावी होगा।

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक– 15/एम 1–214/2012 (अंश)-2226 पटना, दिनांक 28.07.2022

प्रतिलिपि:– निदेशक कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0–सी–16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.07.22

निदेशक, उच्च शिक्षा

New Letter 2022

PATLIPUTRA UNIVERSITY
PATNA-800020

E- mail: patliputrauniversity2018@gmail.com
registrar@ppup.ac.in

Ref.no:-.................................... Date:-..............................

अधिसूचना

सरकार के उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/एम 1–214/2012 (अंश) – 2226 दिनांक 28.07.2022 के द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०–सी–16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.SC (IT) में अस्थायी संबंधन हेतु निर्गत आदेश के क्रम में अतिरिक्त एक यूनिट की बढ़ोतरी (60–60 सीट) तथा शैक्षणिक सत्र 2023–24 एवं 2024–25 के लिए संबंधित पाठ्यक्रम में 120–120 सीटों पर छात्रों के नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण (एक अतिरिक्त यूनिट बढ़ोतरी सहित) की स्वीकृति निम्न निदेश के साथ प्रदान की जाती है :—

"भविष्य में, राज्यपाल सचिवालय से व्यवसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित निर्गत होनेवाले परिनियम में अंकित मापदण्ड प्रश्नगत संस्था पर भी प्रभावी होगा"।

ह०/–
(डॉ० जितेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञापांक R/PPU/2700/22 दिनांक 24.11.2022

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित:

1. प्राचार्य/सचिव, कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०–सी–16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना।
2. डी० एस०डब्लू०/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी, पी०पी०यू०, पटना।
3. महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान) पी०पी०यू०, पटना।
4. माननीय कुलपति महोदय/प्रतिकुलपति महोदय/कुलसचिव के निजी सचिव, पी०पी०यू०, पटना।
5. वेब संयोजक, पी०पी०यू०, पटना को अपलोड करने हेतु।
6. संरक्षित संचिका।

24/11/22
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
24-11-2022

Ref........................ Date ....

English Translation of the Notification

NOTIFICATION

Vide letter no- 15/M1-214/2012 (Part)-2226 dated 28.07.2022 of the Deputy Secretary of the Education Department, Govt. of Bihar, **Catalyst College,** Commercial Plot No.- C-16, Patliputra Industrial Area, Patna is allocated one additional (60-60 seats) in Vocational course BBA/BBM, BCA, B.Sc. (IT) in continuation of the order issued for temporary affiliation and along with it for **academic session 2023-24 and 2024-25** order is being issued for admission of 120-120 seats in the concerned courses with the following directive.

In the future, time-to-time directives and benchmarks issued by the governor's secretaries will be effective.

Sd/-
(Dr. Jitendra Kumar)
Registrar
Patliputra University, Patna

Ref. No. R/PPU/2700/22 **Date: 24/11/2024**

Copy for Information and Necessary Action to:

1. Principal / Secretary, Catalyst College, Commercial Plot No. -C-16, Patliputra Industrial Area, Patna
2. D.S.W. / Controller of Examinations / Finance Officer, P.P.U., Patna
3. P.S. to Hon'ble Vice Chancellor / Pro-Vice- Chancellor / Registrar, P.P.U., Patna
4. Website Coordinator, P.P.U. Patna for uploading on website
5. Guard File for record

(Dr. Jitendra Kumar)
Registrar
Patliputra University, Patna

Certified
26/8/24
Principal
CATALYST COLLEGE
Plot No.: C-16(P) Patliputra Industrial Area
Patliputra, Patna-13

PATLIPUTRA UNIVERSITY
PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com

Ref.no: DSW/1208/PPU/2024... Dated:- 14/08/2024...........

आवश्यक सूचना

सभी संबंधितों/महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि नामांकन समिति की बैठक दिनांक 01.04.2024/अकादमिक की 15वीं/अभिषद की 23वीं एवं अधिषद की 8वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना अन्तर्गत सभी कोटि के महाविद्यालयों में अब **BBM** की जगह **BBA** की ही पढ़ाई होगी।

त्रिवर्षीय **BBA** का **Ordinance & Regulation** राजभवन के **Portal** पर जो अन्य विश्वविद्यालयों हेतु उपलब्ध है और जिसकी वार्षिक मोड में परीक्षा होती है वही मान्य होगा।

मांननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार।
ह0/-
(प्रो0 ए0 के0 नाग)
डी0एस0डब्लू0
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना ।

पत्रांक:- DSW/1208/PPU/2024 पटना, दिनांक 14/08/2024

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ
(2) सभी महाविद्यालयों को सूचनार्थ।
(3) माननीय कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव महोदय के निजी सचिव ।
(5) वित्त सलाहाकार/वित्त पदाधिकारी, पी.पी.यू.।
(6) परीक्षा नियंत्रक, पी.पी.यू.पटना।
(7) वेब इन्चार्ज को सूचनार्थ, उनसे अनुरोध है कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करें।
(5) गार्ड फाईल।

14/8/2024

डी0एस0डब्लू0
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना ।

14/8/2024

पत्रांक 15/एम 1–214/2012 (अश)

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,बि0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक– 2022

विषयः– कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0– सी–16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1218/Aff-03/2022 दिनांक 15.06.2022 द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0– सी–16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में सत्र 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के लिए अस्थायी संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय पत्रांक–1288 दिनांक 26.05.2022 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0–सी–16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए 60–60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–15/एम1–214/2012 (अश) – 2130 पटना, दिनांक 20.07.22

प्रतिलिपि– उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0–सी–16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

पत्रांक 15/एम 1–214/2012

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,बि०प्र०से०

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक– 2021

विषयः– कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1191/2021 दिनांक 09.02.2021 द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में सत्र 2021–22 के लिए संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए 60–60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–15/एम1–214/2012 – 2526. पटना, दिनांक 23.11.21.

प्रतिलिपि–उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/11/21

सरकार के उप सचिव

PATLIPUTRA UNIVERSITY
PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com
registrar@ppup.ac.in

Ref.no:-............................ Date:-......................

अधिसूचना

सरकार के उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/एम1 – 214/ 2012 -1262 पटना, दिनांक 29/07/2020 के द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियमन के आलोक में स्ववित पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 60-60 सीटो पर छात्रो का नामांकन हेतु सीटो का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार
ह०/-
(डॉ० जितेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय,पटना।

ज्ञापांक:- R/PPU/373/2020........ दिनांक:- 09/10/2020...

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्राचार्य/ सचिव, कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना।
2. डी०एस०डब्लू०/ परीक्षा नियंत्रक/ वित्त पदाधिकारी, पी०पी०यू०,पटना को सूचनार्थ।
3. महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान)/ (कला एवं वाणिज्य), पी०पी०यू०, पटना।
4. माननीय कुलपति/ कुलसचिव के निजी सचिव/ सहायक को माननीय के अवलोकनार्थ।
5. वेब संयोजक, पी०पी०यू०, पटना को अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

9.10.20
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय,पटना।

पत्रांक 15/एम1–214/2012

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,बि0प्र0से0

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक– 2020

विषय:– कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक PPU/ICA/77/2020 दिनांक 26.02.2020 द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना में स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियमन के आलोक में स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए 60–60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–15/एम1–214/2012 — 1262. पटना, दिनांक 29.07.2020.

प्रतिलिपि:–उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/7/2020

सरकार के उप सचिव

पत्रांक—15/एम 1—214/2012
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषय :— कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के पत्रांक 55/GIIIB/19 दिनांक 30.04.2019 के आलोक में आपके पत्रांक R/PPU/1065/19 दिनांक 22.07.2019 से सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 5099/2019 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 01.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी०सी०ए०, बी०बी०एम० एवं बी०एस०सी०आई०टी० में संबंधन एवं सीटों का निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(D) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी०सी०ए०, बी०बी०एम० एवं बी०एस०सी०आई०टी० में शैक्षणिक सत्र 2019—20 के लिए छात्रों का नामांकन हेतु 60—60 सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन,
ह०/—
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :— 15/एम 1—214/2012 — 2693 पटना, दिनांक 19/11/19

प्रतिलिपि:— निदेशक, कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

19/11/19

सरकार के उप सचिव।

PATLIPUTRA UNIVERSITY
PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com

Ref. no: R/PPU/1753/19 Date: 08/12/2019

To,
The Principal
Catalyst College,
Ashok Rajpath, Patna

Subject: Issue of College Code

Your College/Institution **Catalyst College, Kulharia Complex, Ashok Rajpath, Patna**, Rajapul, Patna is being allotted the **College Code – 445** for the purposes of Registration and Examination only.

Important:

a. The College has to provide a certificate of registration from Govt. of Bihar.
b. College Code can be used for the purposes of registration and examinations only.
c. The College Code shall be valid only for the period of affiliation of the College with the university/ affiliating body.
d. The College Code shall remain withdrawn/ suspended if the institution is found to violate the norms of affiliation.
e. The college has to furnish a certified copy of the seats allotted in different subjects/courses and faculties in a soft (excel sheet) and hard copy.
f. The principal of the college has to ensure that the number of students enrolled in various subjects should not exceed the allotted seats in any circumstances. The college is liable for disciplinary action for any violation for good conduct.
g. The college has to send the duly certified Alphabetical List of enrolled students in various subjects (subject-wise) in a soft (excel sheet) and hard copy within seven days of closure of admission in the session/course.

By the order of the Hon'ble Vice-Chancellor

(K.K Singh) 8/12/19
Registrar
Patliputra University, Patna

Copy to:
1. Controller of Examinations
2. Inspector of Colleges, Science/Arts & Commerce
3. FA/FO
4. PS to VC/PVC
5. Guard File

पत्रांक 9/अ/234/15 दिनांक 01/07/2015

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
मानव संसाधन विकास विभाग,
नया सचिवालय, पटना।

विषय:- नये संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण/स्थायी संबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि मैत्रेय मिशन कॉलेज
ऑफ टीचर एजुकेशन, ... पटना ... के संबंधन का मामला विश्वविद्यालय की संबंधन समिति, विद्वत परिषद एवं अभिषद से अनुशंसा प्राप्त करने के उपरान्त अधिषद की बैठक दिनांक 12/06/15 के मद सं0 24 द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात् निम्नलिखित स्तरों पाठ्यक्रमों एवं सत्रों में आवश्यक शर्तों के साथ नये संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण/स्थायी संबंधन पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजा जा रहा है।

क्र.सं.	स्तर	पाठ्यक्रमों का नाम	सत्र	विषय
1.	बी० एड०		2013-14 से 2015-16 तक	उक्त निर्धारित सीटों के स्थायीकरण/विस्तार हेतु
2.	डी० एल० एड०		2015-16 से 2017-18 तक (नये संबंधन)	
3.				
4.				

अतः अनुरोध है कि अधिषद से नये संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण/स्थायी संबंधन के पारित प्रस्ताव पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21.2.(d) के तहत राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तथा धारा 61 (2) के तहत नामांकन सीटों का निर्धारण कर यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा की जाय, यदि तीन माह के अन्दर इस पर कोई निर्णय सम्बन्ध प्राप्त नहीं होता है तो, विश्वविद्यालय यह मान लेगी की भेजा गया प्रस्ताव अनुमोदित हो गये है और विश्वविद्यालय अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अनुलग्नक:-

1. अधिषद का कार्यवृत्त की प्रति।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

(हस्ताक्षर) 3/6/15

मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया

पत्रांक.......... दिनांक..............2015

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
मानव संसाधन विकास विभाग,
नया सचिवालय, पटना।

विषय:- नव संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण/स्थायी संबंधन के संबंध में।

महाशय,-

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि कैलाशिया कॉलेज [illegible] के संबंधन का मामला विश्वविद्यालय की संबंधन समिति, विद्वत परिषद एवं अभिषद से अनुशंसा प्राप्त करने के उपरान्त अभिषद की बैठक दिनांक 12/04/15 के मद सं0 24 द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात् निम्नलिखित स्तरों पाठ्यक्रमों एवं सत्रों में आवश्यक शर्तों के साथ नव संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण/स्थायी-संबंधन पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजा जा रहा है।

क्र.स.	स्तर	पाठ्यक्रमों का नाम	सत्र	विषय
1.	बी. बी. ए.		2013-14 से 2015-16 तक	उक्त विषयों पाठ्यक्रमों में स्थायी विस्तार हेतु
2.	बी. एस. सी. आई. टी. (नव संबंधन)		2015-16 से 2017-18 तक	
3.				
4.				

अतः अनुरोध है कि अभिषद से नव संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण/स्थायी संबंधन के पारित प्रस्ताव पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21.2.(ए) के तहत् राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तथा धारा 6.1 (2) के तहत् नामांकन सीटों का निर्धारण कर यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा की जाय, यदि तीन माह के अन्दर इस पर कोई विपरीत मन्तव्य प्राप्त नहीं होता है तो, विश्वविद्यालय यह मान लेगी की भेजा गया प्रस्ताव अनुमोदित हो गया है और विश्वविद्यालय अग्रतर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अनुलग्नक:-

1. अभिषद सत्र कार्यवृत की प्रति।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

[signature]

कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

[illegible] 26/6/15

[illegible]